

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद / (2021/350)

जगदीश पुत्र रोडू जाति कुमावत निवासी ग्राम शेषपुरा (खवास) तहसील केकडी जिला अजमेर।
-----प्रार्थी

◆ वनाम ◆

राजस्थानसरकार जय श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

----- अप्रार्थीगण

**प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 06.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प खवास तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी / अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम शेषपुरा की जमाबन्दी संवत 2070-73 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
83-81	123	0.1100	चा.1जा.1
	125	0.3400	चा.1
	339	0.0500	बा.1
	340	0.2200	बा.1
	368	0.5000	बा.1
	369	0.2800	बा.1
	566	0.0300	बारानी उत्तम
	569	0.2200	बारानी उत्तम
	570	0.1600	बारानी उत्तम
	87	0.0200	नहरी 1
	88	0.1400	नहरी 1
	कुल कित्ता 11	कुल रकबा 2.0700 है.	

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य, स्वामित्व में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी से लडाईं झगडा पर उतारु हो गये। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात पर गया तब विवाद हुआ। इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।



**उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)**